



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092026-275957
CG-DL-E-03092026-275957

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4658]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2026/भाद्र 10, 1948

No. 4658]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026/BHADRA 10, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2026

का.आ. 4845(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 7 किमी से 57.1 किमी के नया प्रस्तावित तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-नया प्रस्ताविततक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	ए.डी.एम. (वि0/रा0), कलेक्ट्रेट कौशाम्बी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Newly	उत्तर प्रदेश	कौशाम्बी	चायल	1 खपरा

		Proposed के कि.मी 7 से कि.मी 57.1 तक			
--	--	---	--	--	--

[फा. सं. 11015/NHAI/Chitrakoot-Prayagraj-Vanaras/2026-27]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st September, 2026

S.O. 4845(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 7 to Km. 57.1 of the Newly Proposed for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. Newly Proposed in the State of UTTAR PRADESH.**

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	ADM (F/R), Collectorate Kaushambi	Newly Proposed KM 7 TO KM 57.1	UTTAR PRADESH	KAUSHAMBI	Chail	1 Khapra

[F. No. 11015/NHAI/Chitrakoot-Prayagraj-Vanaras/2026-27]

SHAIKH AMINKHAN, Director